संख्या- 68**/2018/2640/33-3-2018-02/2016**

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग- 3 **लखनऊ दिनांक- 08 अगस्त, 2018**

विशय**:- 14**वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष **2017-18** के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार की बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में ग्राम पंचायतों से पुन: आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-13(32) FFC/FCD/2015-16 दिनांक-08.10.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में ग्रामीण निकायों के लिए निष्पादन अनुदान हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक-18.02.2016 के प्रस्तर 2 के क्रम में जारी शासनादेश -846/33-3-2016-2/2016 दिनांक-31.03.2016 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 के चयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2760/33-3-2017-02/2016 दिनांक-12.02.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-8 /2018/383/33-3-2018-02/2016 दिनांक-23.02.2018 में वर्णित प्रावधानों के क्रम में

http://shasnadeshup.nic.in

पंचायतीराज के पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में आवेदनकर्ता ग्राम पंचायतों द्वारा सूचना एवं साक्ष्य अपलोड किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश के क्रम में जनपद स्तरीय समिति के आकलन एवं मूल्यांकन के उपरान्त अत्यन्त कम संख्या में ग्राम पंचायतें पात्र पायी गयी थी। जिसके क्रम में संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र संख्या-2169/33-3-2018-02/2016 दिनांक 12 जुलाई 2018 के द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों से पुन: आवेदन प्राप्त करने हेतु 03 माह का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

2- पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के सहयोग एवं मार्ग-निर्देश हेतु गठित समन्वय समिति की छठवी बैठक में परफार्मेंस ग्राण्ट के वितरण हेतु पात्र ग्राम पंचायतों की पुन: आवेदन प्रक्रिया को 03 माह में पूर्ण करने के लिये **पत्र संख्या-एन**0-11013/22/2015-**एफ**0**डी**0 **दिनांक-**17.07.2018 **द्वारा सहमति प्रदान की गयी।**

3- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व संहिता** 2016 **की धारा-**69(1) **के अनुसार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति द्वारा अथवा उसकी ओर से वसूल की गयी या प्राप्त की गयी सभी धनराशि जिसमें दान भी सम्मिलित है, गांव निधि में जमा की जायेगी लेकिन राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की परिसम्पितियों की नीलामी** 122-**बी के अन्तर्गत रोपित अर्थदण्ड तथा अन्य प्राप्तियां गांव निधि में जमा करने के स्थान पर समेकित गांव निधि में जमा कर दी गयी है। इस धनराशि का नियमानुसार समायोजन अन्तरण गांव निधि में करने के लिए राजस्व परिषद से अनुरोध किया गया है। ग्राम पंचायतें समेकित गांव निधि में जमा धनराशि तथा अन्य स्रोत यथा-जलकर तथा हाट पैठ से प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायतों का इस अवधि का संशोधित ऑडिट भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय के पत्र संख्या-**N-11011/4/2017-FD **दिनांक-**24.11.2017 **के बिन्दु-**3 **में निहित प्राविधान के अनुसार लेखा परीक्षा सहकारी समितियों व पंचायतें या सी**0**ए**0 **के माध्यम से कराया जाये।**

4- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत 90 प्रतिशत धनराशि बेसिक ग्राण्ट के रुप में तथा 10 प्रतिशत धनराशि परफार्मेंस ग्राण्ट के रुप में उपलब्ध करायी जाती है। परफार्मेंस ग्राण्ट प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को दो आधारभूत मानक पूर्ण करने होते है-

http://shasnadeshup.nic.in

1-ग्राम पंचायत को परफार्मेंस ग्राण्ट प्राप्त करने के लिए अपने खाते का ऑडिट कराकर वित्तीय वर्ष के भीतर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है।

2-ग्राम पंचायतों को गत वर्ष की तुलना में स्वयं की राजस्व प्राप्ति (Own Source Revenue) में वृद्धि करना अनिवार्य है और यह वृद्धि ऑडिट रिपोर्ट में परिलक्षित होनी चाहिए।

14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 के चयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2760/33-3-2017-02/2016 दिनांक-12.02.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-8 /2018/383/33-3-2018-02/2016 दिनांक-23.02.2018 में वर्णित प्रावधानों में निहित मानकों व मार्ग-निर्देशों का अनुपालन यथावत किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निम्नवत् चार मानकों को पूर्ण करने वाले ग्राम पंचायतों को ही अंक प्राप्ति हेतु अर्ह व पात्र घोषित किया जायेगा-

I. ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायतों ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षों (वर्ष 2014-15 व 2015-16) से अधिक पुराने न हों।
II. ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व में बढ़ोतरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है (वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष2015-16 की स्थिति)
III. कार्य निष्पादन अनुदान के वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) को पूरा करना तथा प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करना।
IV. कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष 2016-17 का 14वें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायतीराज मंत्रालय के डैश बोर्ड/वेबसाइट पर दर्शाना।

5- समस्त जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 के पुन: आवेदन के लिये जनपद स्तर पर समस्त सचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाये एवं समस्त विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा समस्त प्रधानों की बैठक आयोजित कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। समस्त जनपदों में जिला पंचायत

http://shasnadeshup.nic.in

राज अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से समाचार पत्रों में नि:शुल्क विज्ञप्तियों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

6- निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायतीराज विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया जाये तथा साक्ष्यों को डिजिटल फार्म में उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि इस हेतु समस्त ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी व पासवर्ड तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। ग्राम पंचायतें पोर्टल से आवेदन का प्रारुप डाउनलोड कर प्रारुप में दिये गये विवरण को पूर्ण कर साक्ष्यों सहित ऑनलाईन आवेदन करें। प्रधान एवं सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे नियत प्रारुप पर सही सूचनाएं तथा अभिलेख/साक्ष्य पोर्टल पर समयबद्ध रुप से अपलोड कर फ्रीज करें।

7- जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदनों की सूचनाओं के परीक्षण हेतु अभिलेखों एवं साक्ष्यों को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति को उपलब्ध करायेंगे। उक्त समिति जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटिहीनता व समयबद्धता से कार्य करेगी। समिति द्वारा ग्राम पंचायतों की सूचना की सत्यता व अभिलेखों/साक्ष्यों का परीक्षण कर अर्ह व पात्र ग्राम पंचायतों के प्राप्तांकों की सूची पोर्टल पर जनपद स्तरीय नियत सारणी में अंकित की जाये तथा जिला पंचायत राज अधिकारी के पासवर्ड से जनपद स्तर के मूल्यांकन का विवरण फ्रीज किया जाये। जनपद की ग्राम पंचायतों के अर्हता/प्राप्तांकों की विवरण सूची पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिन्ट करने के उपरान्त प्रारुप/विवरण पर समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति पी0डी0एफ0 फाइल के रुप में पोर्टल पर अपलोड की जाये तथा विवरण सूची दो प्रतियों में निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये। उक्त कार्यवाही निम्न समय-सारिणी के अनुसार सम्पादित की जाये:-

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	समयावधि
1	ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अवधि।	16.08.2018 से 31.08.2018 तक
2	जनपद स्तर पर सूचियों का परीक्षण एवं अर्ह ग्राम पंचायतों की सूची तैयार	01.09.2018 से 15.09.2018 तक

http://shasnadeshup.nic.in

	किया जाना।	
3	जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशालय स्तर पर परीक्षण एवं सूचियों को अन्तिम रुप दिया जाना।	16.09.2018 से 25.09.2018

8- परीक्षणोपरान्त सूचियां सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी में दिनांक-15.09.2018 तक निदेशक पंचायतीराज को उपलब्ध करायी जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी का दायित्व होगा कि वे आवेदनकर्ता ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख साक्ष्य विवरण (जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को पात्रता व अंको का निर्धारण किया है) जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें।

9- राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु अनुबन्ध 02 में निहित मानक के अनुसार 04 अनिवार्य पात्रता वाली अर्ह ग्राम पंचायतों के प्राप्तांक निर्धारित करते हुए जारी मार्ग-निर्देश एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-N-11013/22/2015-FD दिनांक-17.07.2018 के आधार पर आवंटित धनराशि का वितरण निदेषक पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का समयबद्ध ढंग से अनुपालन सुनिष्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shashadeshup.nic.in

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0।
4- सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in